संख्याःरैब–डी (एफ)11–1/2009–जाति दरूस्ती
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग (डी–अनुभाग)

प्रेषक

प्रधान सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

प्रेषित

1. उपायुक्त, हमीरपुर
   जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
2. उपायुक्त, बिलासपुर,
   जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

दिनांक शिमला–2, 28-07-2023

विषयः– राजस्व अभिलेख में दर्ज जाति फलेहड़े, फलैहड़ा, फलाड़ा, फलैहड़े व फरेडे की शुद्विकरण / दरूस्ती व छानवीन बारे निर्देश।

महोदय,

पिछले कुछ अरसे से सरकार के ध्यान में विभिन्न माध्यमों व माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों के माध्यम से लाया गया / आया है कि विशेषकर जिला हमीरपुर के उपमण्डल (ना0) बड़सर तथा जिला बिलासपुर के उपमण्डल (ना0) झण्डूता में हिमाचल प्रदेश सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्याःडब्ल्यूएलएफ–ए(3)–14/76 दिनांक 18/11/1977 के तहत प्रदेश में अधिकृत / मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों की सूचि के कम संख्याः44 में निर्दिष्ट /उल्लेखित जाति "फेरा (Phrera) व फेरेरा (Pherera)" के स्थान पर राजस्व अभिलेख शजरा नस्व में राजस्व /बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस जाति को "फलेहड़े, फलैहड़ा, फलाड़ा, फलैहड़े व फरेड़े" शब्दों में अंकित / दर्ज किया गया है जिससे राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारियों जोकि विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किये गये हैं, में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है । पिछले 10–15 वर्ष पूर्व तक इन शब्दों से दर्ज परिवारों / व्यक्तियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते रहे हैं लेकिन विभाग में डिजिटल / आन–लाईन कार्य प्रणाली शुरू किये जाने उपरान्त इन जातियों के लोगों का अनुसूचित जाति के प्रणाम पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं जिससे ऐसे पात्र लोगों को अनुसचित जाति वर्ग को सरकार की विभिन्न योजनाओं / सरकारी सेवाओं में मिलने वाले आरक्षण की सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है जोकि राजस्व / बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों की गैर–जिम्मेदारान व लापरवाहीपूर्ण कार्यप्रणाली की इंगित करता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का चयन राज्य की समवर्ती सूची में केवल संविधान संशोधन की प्रकिया के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है जोकि एक जटिल प्रकिया है।

अतः सरकार द्वारा इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार करने उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचि में अंकित जातियों के नाम के विपरीत कोई नई "जाति या शब्द" नवीनतम बन्दोबस्त प्रकिया पूर्ण करने उपरान्त जोड़ा या फेरबदल किया गया है उन्हें राजस्व विभाग के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी स्वंय संज्ञान लेते हुए या सम्बन्धित

2/–

प्रभावित पक्षों से प्राप्त निवेदन/ प्रार्थना पत्र अनुसार तथ्यों / साक्ष्यों की पूर्ण छानवीन (पुराने से पुराने शजरा नस्व में दर्ज जाति इन्द्राज) करते हुए नियमानुसार जाति इन्द्राज दरूस्त करने बारे शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करेंगे तथा बन्दोंबस्त विभाग के अधिकारी / कर्मचारी भविष्य में बन्दोंबस्त प्रकिया के दौरान कोई भी नई जाति / शब्द सरकार द्वारा अधिसूचित जातियों के सिवाये राजस्व अभिलेख में किन्हीं अपरिहार्य / अति–आवश्यक परिस्थितियों की सूरत में दर्ज नहीं करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा पहले भी सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 9 जुलाई, 2010 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

यह पुनः दोहराया जाता है कि सभी सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारी भविष्य में इन अनुदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(बलवान चन्द)
संयुक्त सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संः यथोपरि— दिनांकः 28-07-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं समरूप कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश (सिवाये हमीरपुर व बिलासपुर)
3. बन्दोबस्त अधिकारी, बन्दोबस्त मण्डल कांगड़ा तथा शिमला, हि0प्र0।
4. समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0), हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त प्रधान, ग्राम पंचायत, उपमण्डल(ना0), बड़सर, जिला हमीरपुर तथा उपमण्डल(ना0), झण्डूता, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह अपनी पंचायत में उक्त जातियों से सम्बन्धित परिवारों / लोगों को इस सम्बन्ध में सूचित / अवगत करवाने हेतु ।

संयुक्त सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।